फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 03.04.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक युवक के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मिन्टू उर्फ रामप्रताप पुत्र रमेश चौहान निवासी ग्राम कतरौली पट्टी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण :-

01. एक अवैध तमंचा 315 बोर

अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 87/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना नवाबगंज

दिनांक – 03.04.2026

थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में 01 नाजायज तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन,कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन,श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 63/2026 धारा 137(2)/61(2)/103(1)/238 बीएनएस व 3/4/18 पॉक्सो एक्ट में प्रकाश में आया अभियुक्त विवेक पुत्र अजयपाल निवासी ग्राम सिरौली थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01.विवेक पुत्र अजयपाल निवासी ग्राम सिरौली थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण– दिनांक 30.03.2026 को थाना स्थानीय पर वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्तों द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे दाखिल किया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 63/2026 धारा 137(2)/61(2) बीएनएस कुलदीप आदि 02 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अभियोग में नामजद बाल अपचारी से बाउम्मीद बरामदगी अपहर्ता, बाल अपचारी द्वारा बताये हुये स्थान पर बाल अपचारी द्वारा आगे आगे स्वतन्त्र रूप से चल कर नदी के किनारे खाई में प्लास्टिक की बोरी की तरफ इशारा करके बताया की इस बोरी में लाश है। तब मौके पर वादी को अवगत कराया गया, वादी द्वारा मौके पर पुहंचकर शव की शिनाख्त की गई तथा शव बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 103(1)/238 बीएनएस व 3/4/18 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा बाल अपचारी से पूछताछ के दौरान विवेक कुमार पुत्र अजयपाल निवासी सिरौली थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ का नाम प्रकाश में आया। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त विवेक कुमार उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये गये एवं उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, किंतु अभियुक्त द्वारा पुलिसकर्मियों पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिससे अभियुक्त विवेक उपरोक्त घायल हो गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। मौके से अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज तमंचा, 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस बरामद किये गये। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम विवेक उपरोक्त पंजीकृत कर अभियुक्त विवेक एंव बाल अपचारी के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त विवेक उपरोक्त द्वारा बताया गया नाबालिग युवक मेरा अच्छा दोस्त था जो नाबालिग युवती को कही ले जाने के उद्देश्य से मेरे पास आया था। मेरे द्वारा नाबालिग युवती से छेड़खानी करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए नाबालिग युवती तैयार नही थी। इसी गुस्से में नाबालिग युवती से जबरदस्ती करते हुए मनैं युवती का गला दबा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गयी है। मुझे माफ कर दीजिए।

अभियुक्त विवेक उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 63/2026 धारा 137(2)/61(2)/103(1)/238 बीएनएस व 3/4/18 पॉक्सो एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।
02. मु0अ0सं0 68/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक तमंचा नाजायज

02. 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली थाना नवाबगंज पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. उ0नि0 श्री सत्यनारायण
3. उ0नि0 श्री राम सिंह
4. हे0का0 नन्दलाल
5. हे0का0 शैलेन्द्र सिंह
6. का0 किरण कुमार
7. का0 अरविन्द कुमार
8. का0 अर्जुन सिंह
9. का0 कमल किशोर

गिरफ्तार करने वाली एसओजी पुलिस टीम-

01.उ0नि0 श्री सचिन सिंह चौधरी प्रभारी एसओजी मय टीम

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस पुलिस टीम-

01.उ0नि0 श्री सन्त कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - कोतवाली कायमगंज

दिनांक - 03.04.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या में वांछित 01 अभियुक्त को आलाकत्ल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 84/26 धारा 85/80(2)/92 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में नामजद अभियुक्त शिवेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र लालाराम निवासी अमिलैया मुकेरी कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01.शिवेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र लालाराम निवासी अमिलैया मुकेरी कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 01.04.2026 को वादी श्री रामसरन पुत्र रैवारी लाल निवासी ग्राम आजमपुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त द्वारा मेरी पुत्री के साथ मारपीट करने व अतिरिक्त दहेज की मांग करना, मांग पूरी न होने के कारण मेरी पुत्री की हत्या कर देने के संबंध में प्राप्त हुई। वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 84/26 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम शिवेन्द्र उर्फ पिन्टू पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर शिवेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र लालाराम निवासी अमिलैया मुकेरी कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को आलाकत्ल एक टी-शर्ट सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरी पत्नी के पिता ने शादी के बाद मुझे एक मोटर साइकिल देने की बात कही थी। दिंनाक 30.03.2026 को मेरी पत्नी से मोटरसाइकिल की बात को लेकर लडाई झगडा हो गया उसी समय मैंने कपडे की टीर्शट से उसका का मुँह दवाकर हत्या कर दी। मुझसे गलती हो गयी है मुझे माफ कर दीजिये।

अभियुक्त शिवेन्द्र उर्फ पिन्टू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

01.मु0अ0सं0 84/26 धारा 85/80(2)/92 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट

बरामदगी का विवरण-

01.एक टीशर्ट (आला कत्ल)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

01. प्र0नि0 श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
02.उ0नि0 श्री ज्ञानप्रकाश पाण्डेय
03.का0 मोहित कुमार
04.का0 अंकित पंवार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक - 03.04.2026

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 115/2026 धारा 61(2)/137(2)/87 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त, 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2026 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त रामदेव उर्फ भूरे पुत्र हरीशरन यादव निवासी सरैया थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहॉपुर, अभियुक्ता लक्ष्मी देवी उर्फ नीरज पत्नी स्व0 राजकुमार निवासी नगला राजन भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता:-

01. रामदेव उर्फ भूरे पुत्र हरीशरन यादव निवासी सरैया थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहॉपुर।
02. लक्ष्मी देवी उर्फ नीरज पत्नी स्व0 राजकुमार निवासी नगला राजन भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 02.04.2026 को वादिनी द्वारा कोतवाली फतेहगढ़ पर दिये गये प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्तों द्वारा षडयंत्र कर वादिनी की नाबालिग बहन को बहला फुसलाकर शादी के उद्देश्य से भगा ले जाने के सम्बन्ध में, वादिनी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 115/2026 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस बनाम रामदेव उर्फ भूरा आदि 02 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रामदेव उर्फ भूरे पुत्र हरीशरन यादव निवासी सरैया थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहॉपुर, अभियुक्ता लक्ष्मी देवी उर्फ नीरज पत्नी स्व0 राजकुमार निवासी नगला राजन भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त/अभियुक्ता से पूछताछ करने पर दोनो द्वारा अपनी गलती की मांफी मांगते हुए अपनी सफाई माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया ।

अभियुक्त रामदेव उर्फ भूरा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 115/2026 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 120/2019 धारा 366/506 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर ।
3. मु0अ0सं0 83/2021 धारा 323/324/325/452/504/506 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर।

अभियुक्ता लक्ष्मी देवी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 115/2026 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राममोहन सिंह
2. हे0का0 विजेन्द्र सिंह
3. म0का0 पूजा

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।